

मौजूदा मसल / वकालत

20-9-22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व गुरीवादी उतु।
विविक्त रूप से हीन कार आवाज लगावई गई परन्तु
उप. नहीं। ऐसी स्थिति में प्रमाण अयम हाजरी
अयम पेशी में खारीज किया जाना उचित गति
है। अतः उभयपक्ष अधिकृत व उतनी तपुसे
उप. नहीं रखेने पत्रावली अयम हाजरी अयम
में खारीज की जाती है। पत्रावली फेरव
द्वारा खारीज उफ्त है।

उपखण्ड अधिकारी
लौराह (उप.)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्त की तामिल में
जारी हुए

